



कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfddevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-31/2015- 804

दिनांक : 04.06.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची/
वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण एवं साल वृक्षों का वृद्धि अध्ययन हेतु शोध का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 11.003 लाख (ग्यारह लाख तीन सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-27/2010-39/ व0प0 दिनांक 18.10.2014 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट- 27/2010-02/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 005 वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग, उप शीर्ष- 01 "वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन" योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 रु0 11.003 लाख (ग्यारह लाख तीन सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601005010103	10.336
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601005010323	0.667
कुल :-		11.003

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** एवं कार्यदर **अनुलग्नक-3 (क) एवं (ख)** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या- पी0 19P240601005010103 तथा पी0 19P240601005010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्तद संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं०-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं०-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का

निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।


14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यो का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 के निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Candidate Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेकेशन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधों यथा; कल्पतरु आदि का टिशू कल्चर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 के निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Conditate Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेकशन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधों यथा; कल्पतरु आदि का टिशू कल्चर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-31/2015- 804 दिनांक- 04.06.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यो का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 के निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17. इस योजना अंतर्गत शोध पौधशालाओं का रख-रखाव, साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण, Selection of the Conditate Plus Tree, साल, करंज, महुआ बीज आदि का उत्पादन पर अध्ययन, विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेकशन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण में उगाये गये पौधों से ट्रायल वनरोपण आदि का कार्य किया जाय। इसके अतिरिक्त विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधों यथा; कल्पतरु आदि का टिशू कल्चर के माध्यम से संवर्द्धन का कार्य किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-31/2015- 804 दिनांक- 04.06.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-31/2015- 804 दिनांक- 04.06.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक- 1 (क)

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक कार्यान्वित की जाने वाली "वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

क्र० सं०	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेशपुर में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण, बरये पी०एफ० (10 हे०)	3.668	0.216	3.884
2	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, देवघर में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण, बरये पी०एफ० (10 हे०)	3.668	0.216	3.884
योग :-		7.336	0.432	7.768


अनुलग्नक- 1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक कार्यान्वित की जाने वाली "वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल वृक्षों का वृद्धि अध्ययन हेतु शोध से संबंधित कार्यों का वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :- वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

क्र० सं०	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v
सम्पल प्लॉट के द्वारा साल वृक्षों का वृद्धि अध्ययन				
1	शोध प्रक्षेत्र- छिपादोहर, प्रखण्ड- डालटेनगंज, कार्य स्थल- गोड़ाड, अक्षांश- देशान्तर, थाना/थाना नं०- पौकी/419, प्रस्तावित क्षेत्र- 2 हे०	0.600	0.047	0.647
2	शोध प्रक्षेत्र- गोईलकेरा, प्रखण्ड- चाण्डिल, कार्य स्थल- हुन्डी, अक्षांश- देशान्तर, थाना/थाना नं०- ईचागढ़/148, प्रस्तावित क्षेत्र- 2 हे०	0.600	0.047	0.647
3	शोध प्रक्षेत्र- हजारीबाग, प्रखण्ड- इचाक, कार्य स्थल- पोखरिया, अक्षांश- देशान्तर, थाना/थाना नं०- इचाक/15, प्रस्तावित क्षेत्र- 2 हे०	0.600	0.047	0.647
4	शोध प्रक्षेत्र- राँची, प्रखण्ड- नामकुम, कार्य स्थल- लाली, अक्षांश- देशान्तर, थाना/थाना नं०- खिजरी/342, प्रस्तावित क्षेत्र- 2 हे०	0.600	0.047	0.647
5	शोध प्रक्षेत्र- राँची, प्रखण्ड- जामा, कार्य स्थल- सुगापहाड़ी, अक्षांश- देशान्तर, थाना/थाना नं०- चुटो/30, प्रस्तावित क्षेत्र- 2 हे०	0.600	0.047	0.647
योग :-		3.000	0.235	3.235
सकल योग :-		10.336	0.667	11.003

नोट :- विभागीय स्वीकृतादेश संख्या 39 दिनांक 18.10.2014 द्वारा स्वीकृत।


4/8/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झाखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यवह हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-31B/2015/804

दिनांक - 04-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्यवहन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601005010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 005 - वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 01 - वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28961	DRNFWL020 DINESH KUMAR CCF.PLANTATION RES.&EVL.JHA	733,600.00 रुपये सात लाख तैतीस हजार छः सैं
2	P 19 240601005010103 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 005 - वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 01 - वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	28962	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	300,000.00 रुपये तीन लाख
3	P 19 240601005010323 2406 - बानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - बानिकी 005 - वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 01 - वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28964	DRNFWL020 DINESH KUMAR CCF.PLANTATION RES.&EVL.JHA	43,200.00 रुपये तीरयालीस हजार दो सैं

1,076,800.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये दस लाख छहत्तर हजार आठ सैं

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADD:PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601005010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 005 - वन संसाधनों का सर्वेक्षण तथा उपयोग 01 - वन सर्वेक्षण, कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	28965	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	23,500.00 रुपये तेइस हजार पाँच सैं



योग:

23,500.00

क्रमिक योग:

रुपये म्यारह लाख तीन सैं

1,100,300.00

(Signature)
4/6/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL PCCF, DEV. JHARKHAND

अनुलग्नक-3 (क)

साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण कार्य दर तालिका (10 हे० के लिए)


मजदूरी : 221.61 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी - 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या - 1600 प्रति हेक्टेयर


1000 - साल एवं 600 - उसके सहयोगी (हरें, बहेरा, बीजा साल, कुसुम, महुआ, करम, पीयार, सेमल, आसन, अर्जुन, आँवला आदि)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
i	ii	iii	iv	v	vi
A	वित्तीय वर्ष 2016-17 में सम्प्लोषण कार्य (तृतीय वर्ष)				
1	दो कोड़नी-निकौनी,	370	81995.70	0.00	81995.70
2	पौधों में पानी पटाना।	560	124101.60	0.00	124101.60
3	दो मलचिंग	200	44322.00	0.00	44322.00
4	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।		0.00	11400.00	11400.00
5	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष) 25 हे० क्षेत्रफल तक के लिए।	365	80887.65	0.00	80887.65
6	गड़ढ़ा घेरान की मरम्मत	50	11080.50	0.00	11080.50
7	मृत पौधों का बदलाव।	50	11080.50	4400.00	15480.50
8	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	50	11080.50	3000.00	14080.50
9	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	0	0.00	1500.00	1500.00
10	साईन बोर्ड का रख-रखाव आदि कार्य।	10	2216.10	1300.00	3516.10
	योग :-	1655	366764.55	21600.00	388364.55


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

सेम्पल प्लॉट के द्वारा साल वृक्षों का 2 हे० वृद्धि अध्ययन दर

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मानव दिवस प्रति हे०	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
तृतीय वर्ष 2016-17					
1	स्थल की सफाई एवं कलाईम्बर कटिंग तथा कॉपिसिंग कार्य (2 हेक्टर)	20	8864.40	-	8864.40
2	पत्थर गाढ़कर सेम्पल प्लॉट का घेरान कार्य मरम्मति (2 हेक्टर)	10	4432.20	-	4432.20
3	ब्रान्च कटिंग, ब्लेजिंग कर पेन्टिंग तथा मार्किंग करने का कार्य	10 प्रति 100 वृक्ष	4432.20	-	4432.20
4	छाती की ऊँचाई पर गोलाई तथा ऊँचाई मापने का कार्य	4 प्रति 100 वृक्ष	1772.88	-	1772.88
5	वृक्षों के मार्किंग करने तथा सेम्पल प्लॉट के सीमा रेखा के पेड़ों पेंट करने हेतु पेंट क्रय करने का	900.00 प्रति 100 वृक्ष	-	1800.00	1800.00
6	पर्यवेक्षण कार्य 183 मानव दिवस	$\frac{1}{2}$ प्रतिदिन	40554.63	-	40554.63
7	विविध खर्च यथा कागज, रजिस्टर टेप तथा विडियोग्राफी का कार्य (2 हेक्टर)	1450.00 प्रति हे०	-	2900.00	2900.00
		कुल :-	60056.31	4700.00	64756.31


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची